पत्र संख्या–6 / भू0अ0–01–08 / 2016गृ0आ0................... /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक फरवरी, 2017

विषय :– **मधुबनी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र निर्माण हेतु रैयती भूमि कुल रकवा 17.876 एकड़ के भू–अर्जन के लिए ₹ 84,72,12,578 (चौरासी करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार पाँच सौ अठहत्तर रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 84,70,11,592 (चौरासी करोड़ सत्तर लाख ग्यारह हजार पाँच सौ बेरानवे रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक समाहर्त्ता, मधुबनी का पत्रांक–235 मु0 / जि0स0, दिनांक 26.08.2016 के प्रसंग में कहना है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र निर्माण हेतु 17.876 एकड़ चयनित रयती भूमि के अधिग्रहण के लिए भू–अर्जन हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा समर्पित अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर प्राक्कलित राशि कुल ₹ 84,72,12,578 (चौरासी करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार पाँच सौ अठहत्तर रू0) मात्र नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 84,70,11,592 (चौरासी करोड़ सत्तर लाख ग्यारह हजार पाँच सौ बेरानवे रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 84,70,11,592 (चौरासी करोड़ सत्तर लाख ग्यारह हजार पाँच सौ बेरानवे रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत मांग सं0–22 के बजट शीर्ष "4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 050–भूमि, उपशीर्ष 0101–थाना / चौकी के भू–अर्जन हेतु" विपत्र कोड P4055000500101 विपष शीर्ष 53 02 – भू–अर्जन एवं राज्य योजना स्कीम कोड–HOM 5419 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वित्त विभाग का ज्ञापांक–3687, दिनांक 30.03.2012 के अनुसार विमुक्त राशि व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) में जमा की जायेगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, मधुबनी से की जायेगी।

5. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6 / भू0अ0–01–08 / 2016गृ0आ0.........1660.........पटना, दिनांक 23 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधुबनी / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, मधुबनी / पुलिस अधीक्षक, मधुबनी / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/17

सरकार के अवर सचिव